र्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 152 / FP/UK/WATER/26647/2017 देहरादूनः दिनांकः 12, जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण की योजना हेतु 0.003 है0 वन भूमि का का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/WATER/26647/2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रश्नगत परियोजना में वृक्षों का पातन निहित नही है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/WATER/26647/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।

विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण की योजना हेतु 0.003 है0 वन भूमि का का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/WATER/26647/2017**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद देहरादून में 0.003 है0 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त नलकूप निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण की योजना** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.

Land Survey Directorate

Dehradun

सरकारी मोहरः

तिथि : 12 / 07 / 2017

स्थान : देहरादून